कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

अपील संख्याः–37/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री अजय कुमार सोनी पुत्र श्री नंदलाल सोनी वार्ड नं. 7, किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया।

––प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांकः–12.09.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया के संबंध में पेश हुई।

अपीलार्थी की ओर से प्रतिनिधि श्री रमेश दर्गन उपस्थित। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया द्वारा सूचना नही देने पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई हैं। अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को अपना जवाब प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया से पत्र कमांक 837 दिनांक 03.09.2019 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार सूचना की एक प्रति अपीलार्थी को क्रमांक 838 दिनांक 26.08.2019 से भिजवाई जा चुकी है। जवाब के संलग्न सतर्कता शाखा में उक्त प्रकरण से संबधित प्रेषित रिपोर्ट की चित्र प्रति कंमाक 470 दिनांक 7.6.2019 की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई है।

प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी प्रतिनिधि को सुना गया उन्होने कथन किया कि वाटर वर्क्स कार्यालय में आकर जांच की गई थी उसकी सूचना नहीं दी गई है जो उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया के पत्र क्रमांक 837 दिनांक 03.09.2019 का अवलोकन करने से उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया द्वारा पत्रांक 838 दिनांक 26.08.2019 से अपीलार्थी को सूचना दिया जाना पाया जाता है। इस प्रकार अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये डाक भिजवाया जाना प्रत्यर्थी ने बताया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को सूचना प्राप्त हो चूकी है। इसलिए अपीलार्थी को इस अपील में ओर कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार खारिज की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official